विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

Letter dtd. 146 Dt. 27/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/39
दिनांक 28.04.2026

आयुक्त, नगर निगम दुर्ग
बी.पी. नं. 1003158145
मो. नं. 8208396855

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग
2. सहायक अभियंता, दुर्ग शहर जोन,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग

अनावेदकगण

विषय : नगर निगम दुर्ग के सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के मीटर रीडिंग में अनियमितता एवं त्रुटिपूर्ण बिलिंग के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 22.05.2026 को पारित किया गया)

शिकायत का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह अभ्यावेदन किया गया कि नगर निगम दुर्ग के सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन में नया स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात विद्युत खपत में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में स्थापित मीटर के आधार पर की गई रीडिंग एवं बिलिंग सही नहीं थी। अतः नए स्मार्ट मीटर के आधार पर पूर्व अवधि की औसत खपत का पुनर्निर्धारण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण की कार्यवाही दिनांक 08.05.2026 को प्रकरण की प्रथम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष से श्री मोहित मरकाम, सब इंजीनियर, नगर निगम दुर्ग उपस्थित हुए। अनावेदक पक्ष से श्री आलोक साहू, सहायक अभियंता, दुर्ग शहर जोन उपस्थित हुए। कार्यपालन अभियंता अनुपस्थित रहे।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि सड़क बत्ती हेतु स्थापित उक्त विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग अनियमित रही, जिसके कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी किए जाते रहे।

फोरम द्वारा सहायक अभियंता, दुर्ग शहर जोन को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक, मीटर रीडिंग डायरी तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए। दिनांक 13.05.2026 को हुई सुनवाई में सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

<u>फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष</u>

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, बिलिंग अभिलेखों, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पक्षकारों के कथनों का परीक्षण करने पर निम्न तथ्य परिलक्षित हुए— संबंधित विद्युत कनेक्शन नगर निगम दुर्ग द्वारा सड़क बत्ती हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त कनेक्शन का वर्तमान स्वीकृत भार 17.5 किलोवाट है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कनेक्शन की बिलिंग एल.वी.-2 टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत गैर घरेलू प्रयोजन हेतु की जा रही है, जबकि वास्तविक उपयोग सड़क बत्ती हेतु होने से संबंधित कनेक्शन का टैरिफ प्रयोजन एल.वी.-6 श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए। अतः प्रयोजन के अनुरूप संपूर्ण अवधि के लिए विद्युत बिल का पुनरीक्षण किया जाना उचित है।

मार्च 2023 से मार्च 2026 तक की बिलिंग गणना पत्रक के परीक्षण से यह पाया गया कि उक्त अवधि में मीटर को डिफेक्टिव अथवा स्टॉप दर्ज नहीं किया गया था। मार्च 2026 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया कि वर्तमान में उक्त कनेक्शन के अंतर्गत कुल 78 नग सड़क बत्तियाँ स्थापित हैं, जिनमें से 32 नग चालू अवस्था में तथा 46 नग बंद अवस्था में हैं।

तथापि, उक्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं दर्शाया गया कि संबंधित सड़क बत्तियाँ कब से बंद अवस्था में हैं, अर्थात वे स्मार्ट मीटर स्थापित होने से पूर्व से बंद थीं अथवा स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात बंद हुईं। अतः अनावेदक का यह कथन कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात कुछ सड़क बत्तियाँ बंद होने के कारण विद्युत खपत में कमी आई है, स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। नगर निगम दुर्ग के प्रतिनिधि द्वारा भी इस

संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फोरम के परीक्षण में यह भी पाया गया कि उक्त विद्युत कनेक्शन में 3-फेज डायरेक्ट मीटर स्थापित है, जबकि मीटर किराया एल.टी. सी.टी. थ्री-फेज मीटर के अनुसार वसूल किया जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त परिस्थितियों में फोरम का मत है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित स्मार्ट मीटर के समानांतर एक चेक मीटर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक विद्युत खपत की समीक्षा किया जाना उचित होगा। उक्त समीक्षा के आधार पर पूर्व अवधि की बिलिंग का पुनर्परीक्षण कर आवश्यकतानुसार संशोधित बिल जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

उपरोक्त परीक्षण एवं निष्कर्षों के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है—

1.संबंधित विद्युत कनेक्शन की टैरिफ श्रेणी को वास्तविक उपयोग अनुसार एल.वी.-6 श्रेणी के अंतर्गत संशोधित करते हुए संपूर्ण अवधि की बिलिंग का पुनरीक्षण किया जाए।

2.उक्त विद्युत कनेक्शन में स्थापित स्मार्ट मीटर के समानांतर एक चेक मीटर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक विद्युत खपत की समीक्षा की जाए।

उक्त समीक्षा के आधार पर पूर्व में जारी विद्युत देयकों का पुनर्परीक्षण कर आवश्यकतानुसार संशोधित बिल जारी किया जाए।

3.संबंधित विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर के अनुसार मीटर किराया दर का संशोधन किया जाए तथा जिस अवधि से गलत दर से मीटर किराया वसूल किया गया है, उस संपूर्ण अवधि हेतु आवश्यक समायोजन किया जाए।

4.यदि उपरोक्त मदों में किसी राशि की अतिरिक्त वसूली की गई हो, तो उक्त राशि आगामी विद्युत देयकों में समायोजित की जाए।

5.समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

7. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

8. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

यदि शिकायतकर्ता/आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण इस प्रकार निराकृत किया जाता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग